'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 31.07.2015
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: aicscst@gmail.com

● वर्ष : 18 ● अंक 17 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 16 से 31 जुलाई, 2015

19 जुलाई को परिसंघ का एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं दलित आरक्षण चिंतन बैठक सम्पन्न

डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का 19 जुलाई, 2015 को स्पीकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं दलित आरक्षण चिंतन बैठक सम्पन्न हुई। लगभग 11 बजे माननीय उदित राज जी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया गया। देश भर से आए प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी टीमों के साथ उनका स्वागत किया। उपरोक्त कार्यक्रम में पूरे देश के परिसंघ के पदाधिकारियों व शुभचिंतकों ने भारी संख्या में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना से हुई।

मंच पर डॉ. उदित राज जी के साथ तरसेम सिंह, सिद्धार्थ भोजने, जगजीवन प्रसाद, सत्य प्रकाश जयावता, मदन राम, ट्मटा जी, रामूभाई वाघेला, परम हंस एवं ब्रह्म प्रकाश

डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय चेयरमैन, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कि हमें लगता है कि जब दो दिनों का कार्यक्रम चलता था तो पूरे देश से आए पदाधिकारियों को बोलने का अवसर मिलता था। लेकिन इस बार एक दिन के इस कार्यक्रम में सभी को तो अपने विचार रखने का अवसर मिल पाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। यह मानना कि हमारे लिखने-पढ़ने और भाषण देने से सरकारें डर जाती हैं तो यह हमारी भूल है। मेरा 18 सालों का तजुर्बा रहा है कि हमारा संगठन ही हमारी ताक़त है। उन्होंने कहा कि सवाल उठता है कि हम अपने अधिकारों को कैसे प्राप्त करें। हमारे साथ आए दिन अन्याय और अत्याचार कितना हो रहा है। हमारी औकात कितनी है यह भी हमें पता है। हमारे पास अभी भी कैडर की कमी है। उन्होंने इसी दौरान पूरे देश से आए प्रतिनिधियों की मेंबरशिप का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि संसद में मुद्दे उठाने के लिए द्वा सिस्टम है, फिर भी जितना भी अवसर मिला, हमने आरक्षण और दलित समस्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक लगभग 35 बार संसद में भाषण दिया और उसमें से लगभग 30 बार आरक्षण और दलित मुद्दे पर बोला हूं। उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि हममें से और भी लोग लोक सभा में पहुंचें ताकि और मुद्दे उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि लोक सभा में पहुंचना मेरी मंजिल न थी और न ही है। समाज का उत्थान मेरा मुख्य ध्येय है। उन्होंने कहा कि सन् 2000 के आस पास हमारी रैलियों में ज्यादा भीड़ होती थी लेकिन उस समय लोग स्वार्थ में आया करते थे। आज हमारे पास मिश्नरी लोग हैं। उन्होंने कहा कि इस समय पूरे देश में परिसंघ का कार्य जिस रफ्तार से चल रहा है, उतनी रफ्तार से शायद ही कभी चला हो। लेकिन अभी भी हम वह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो कर लेना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि मेरे भाजपा में जाने पर कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया कि भाजपा में जाने से परिसंघ का काम धीमा हो जाएगा लेकिन वह दुविधा अब दूर हो गयी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे पहले पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है और दुर्भाग्य की बात है कि उसी प्रदेश से सवाल उठ रहे हैं कि डॉ. उदित राज क्या कर रहे हैं? परिसंघ ही है जिसने पदोन्नति के अधिकार को लड़कर जीता था। आज उसी से सवाल किया जा रहा है, जो लोग आरक्षण का नुकसान किए आज उनका बचाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 85वां संवैधानिक संशोधन किया और उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसकी परिसंघ ने जोरदार पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट से केस जीता यह केस नागराज बनाम अन्य के नाम से जाना जाता है। यही मामला उत्तर प्रदेश की लखनऊ हाई कोर्ट में गया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो मापदंड सुनिश्चित किए हैं पदोन्नति में आरक्षण को जारी रखने के, क्या प्रदेश सरकार उन मापदंडों को पूरा करती है तो सरकार ने जवाब नहीं दिया। उस समय सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी वे चाहती तो कोर्ट को जवाब देती और पदोन्नति में आरक्षण जारी रहता। यह न करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया और वहां से पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने का निर्णय आया। हालांकि न तो हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच पूर्व के 5 जजों की बेंच को निर्णय को को उलट सकती है, फिर भी आरक्षण के मामले ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एवं बिहार की सरकारें इस संबंध में समितियों को गठित करके उनकी सिफारिशों के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण जारी रखे हुए हैं, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी सुश्री मायावती जी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यदि दलित समाज मायावती जी पर दबाव बनाता तो वे ऐसा न कर पातीं। उन्होंने कहा कि आज देश में ज्यादातर दलित संगठन जातियों की राजनीति करके अस्तित्व में हैं लेकिन परिसंघ ही एक ऐसा संगठन है जिसमें किसी जाति को महत्त्व नहीं दिया जाता बल्कि इसके पदाधिकारी काम के आधार पर बनते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी परिसंघ के संगठन को देखकर इस बात की पुष्टि कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हमें जो भी अधिकार मिलते हैं वे राजनैतिक लोगों से ही मिलते हैं। वर्तमान में एक माहौल बना दिया गया है कि राजनैतिक लोग भ्रष्ट हैं और बाकी लोग दूध के धुले हैं। इस अफवाह में दुर्भाग्य से दलित समाज भी शामिल हो गया। हालांकि कुछ राजनैतिक लोग भ्रष्ट जरूर हैं। उन्होंने कहा कि दलित समाज भी आलोचना करता है कि हमारे नेता बिकाऊ हैं, गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को मैं जानता हूं जो समाज की लड़ाई लड़ने वाले थे वे गर्त में चले गए तो समाज ने उनकी सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि सवर्णों की संगठन द्वारा दलित समाज के लोगों को जो लक्ष्य दिए जाते हैं, वे उससे भी अधिक आगे बढ़ जाते हैं लेकिन परिसंघ जब कोई लक्ष्य देता है तो बहाना बनाया जाता है।

डॉ. उदित राज जी ने सम्मेलन में ब्रह्मप्रकाश जी को राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया

उन्होंने आगे बताया कि आज यह सवाल किया जाता है कि डॉ. उदित राज आज भाजपा सरकार से भीख क्यों मांगते हैं, उन्हें अपने अधिकार सुनिश्चित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बातें कहने और सुनने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन प्रैक्टिकली क्या यह संभव है। एक सांसद की अपनी सीमाएं होती हैं। आप सभी पढ़े-लिखे हैं, एक सांसद क्या कर सकता है आप सभी जानते हैं। जब तक हमारा परिसंघ मजबूत नहीं होगा, हमारा समाज साथ नहीं देगा तब तक मैं अकेले ज्यादा अधिकार सुनिश्चित नहीं करा सकता। उन्होंने सोसल मीडिया और व्हाट्सअप को किस तरह से संगठन में उपयोग किया जाए, के बारे में विस्तार से बताया। यदि सभी इसका प्रयोग करने लगे तो सेकेंडों हजारों में बिना किसी खर्च के सूचनाएं आदान-प्रदान की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुझसे सीधे व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं। परिसंघ का व्हाट्सअप नं. 9999504477 है, जिस पर अपनी शिकायतें और रिपोर्ट्स भी भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ प्रदेश अध्यक्ष तो व्हाट्सअप और सोसल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिस दिन सभी ऐसा करने लगेंगें पूरे देश में आंदोलन में मदद मिलेगी। उन्होंने इस अवसर पर 'दलित विकास – राष्ट्र विकास का नारा दिया। उन्होंने कहा कि अपनी दीवारों, गाड़ियो व अन्य स्थानों पर यह नारा लिख दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अभी सरकार द्वारा नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन का गठन करने की योजना बन रही है। इसके पीछे कुछ लोग कुतर्क कर रहे हैं कि इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ेगा। दलितों और महिलाओं को जज बनने का अवसर नहीं मिलेगा। हमारे साथ सबसे ज्यादा अन्याय न्यायपालिकाएं कर रही हैं, क्योंकि वहां पर सवर्णों का ही बोलबाला है। वर्तमान समय में कोलिजियम सिस्टम में वहीं लोग जज

शेष पृष्ठ क्र 5 पर

भागीदारी से देश की उन्नति

रूड़की इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 73 विद्यार्थियों को इसलिए निकाल दिया कि दोनो सेमेस्टर में इनका सीजीपीए पांच से भी कम था। 71 में से 31 जन जाति के है, 23 अनुसूचित जाति, 4 विकलांग, 8 पिछड़ा वर्ग और मात्र 8 सामान्य वर्ग के थे। माना जा रहा है कि इन वर्गों के इसलिए छात्र फेल हुए क्योंकि उनका प्रवेश कम प्राप्तांक पर हुआ था। इसलिए ये विद्यार्थी सामान्य वर्ग के बराबर अच्छा नही कर सके। प्रोफेसरों का कहना है कि सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों में फासला बहुत है। उतना तो नही है जितना सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में फासला है। ज्यातर दलितों को न उचित भोजन और न ही मान – सम्मान और अन्य जरूरते आदि पूरी होती है और जो सवर्णों को मिलती है।

इसका समाज में संदेश जाता है कि आरक्षित वर्ग के छात्र कम बुद्धिमान होते हैं। मैंने एक मेकेनिकल इंजिनियर से पूछा कि क्या वास्तव में आई आई टी जैसे संस्थाओं में पढ़ाई बहुत कठिन होती है । उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि मैं साइकिल में पंचर भी नही लगा सकता। चूकि उन्हे कई साल पास किये हुए हो गया, सामाजिक – राजनैतिक क्षेत्र का अनुभव है इसलिए ऐसा निष्पक्ष जवाब दिया। रूड़की के प्रकरण को जब चर्चा किया तो उन्होंने कहा अगर आई आई टी में अच्छी पढ़ाई होती तो हमारा शोध का स्तर भी अच्छा होता। इन संस्थाओं में अच्छे नंबर पाने वाले छात्र प्रवेश कर पाते है। उनमें परिश्रम करने कि आदत होती है। सामान्य वर्ग के छात्रों के अंक ज्यादा होते हैं जिसमें उनका ही योगदान नहीं होता। ज्यादातर छात्र प्राईवेट स्कूल से पढ़कर आते हैं, जहा पर एअर कंडीशनर, अच्छी बिल्डिंग और अन्य सुविधाएं होती हैं। अध्यापक भी अच्छे होते ही हैं। घर पर टियूशन भी लगाया जाता है। माँ–बाप भी पढ़े लिखे होते हैं। बीसों पीढ़ियों का ज्ञान और संस्कार अनुभव का लाभ भी होता है। अगर 5 नंबर भी सामान्य वर्ग के छात्रों को इन चार लाभों को जोड़ दिया जाए तो 20 प्रतिशत होता है। सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के छात्रों में अब 20 प्रतिशत का फासला नहीं रह गया है। कहीं पर तो फासले का अंतर ही मिट गया और ज्यादातर जगहों पर 5 प्रतिशत का ही लाभ दिया जाता है और बड़े ही कम स्थानों में अंतर थोड़ा ज्यादा होता है।

विश्वविद्यालयों, संस्थानों, और अनुसंधान केंद्रों में से अपवाद के साथ, भारत की उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता बहुत ही निम्न किस्म की है। हर साल, Quacquarelli साइमंड्स (क्यूएस) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, और शंघाई जिओ टेंग विश्वविद्यालय द्वारा विश्व के विश्वविद्यालयों (ARWU) के शैक्षणिक रैंकिंग करती है जिसमें हमारे विश्वविद्यालयों का स्थान नहीं होता। एक देश के लिए यह महान शक्ति है, इसमें कठिन और नरम शक्ति दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। भारत का कोई भी विश्वविद्यालय शीर्ष के 300 में नहीं हैं। हम पैमाना भी जान लें कि गुणवत्ता के माप दंड क्या हैं। शिक्षकों को अंर्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार, कितने खोज की गई एवं पेटेन्ट के लिए आवेदन और दाखिला। गुणवत्ता के मायने, यह भी हैं कि दुनिया की बड़ी कम्पनी में नौकरी एवं पैकेज और शोध को देश– विदेश के स्तर पर जनरल में प्रकाशन जब कभी विश्व स्तर की चर्चा होती है तो अब हम भारतीय व्यंजन, सिनेमा और भारत से बाहर गए लोगों की व्यक्तिगत उपलब्धि बता के रह जाते हैं। खेल, शोध, लिंग भेद, जाति व्यवस्था और ईमानदारी की चर्चा से प्रायः कतराते हैं। जब तक इन कमियों को ईमानदारी से स्वीकार नही करेगें तब तक उसको चुनौती नही मानेगें । बिना चुनौती के युद्ध स्तर पर प्रयास नहीं किया जा सकता ।

लोग सुविधा के अभाव की बात करते हुए उच्च शिक्षा में गिरावट को कारण मानते हैं। आई आई टी एवं आई आई एम के पास न तो जमीन की कमी है न ही पैसे की फिर भी क्यों नही विश्व के गुणवत्ता वालें संस्थान बन पाते। इन संस्थानों में पढ़ाने वालो को कम वेतन नहीं मिलता फिर भी देश छोड़ कर क्यों चले जाते हैं। यह तर्क देना कि उतना वेतन यहां नही मिलता तो उनको उतना ही मिलेगा जैसी देश की अर्थ व्यवस्था है। जिन देशों की अर्थ व्यवस्था विकसित है वहां आमदनी उसी के हिसाब से होगी, जब इनसे पूछा जाए तब जनता के पैसे से निर्मित संस्थान का इस्तेमाल कर रहे थे अथवा पढ़ और शोध कर रहे थे तब तो कहते नहीं थकते थे की भारत के उत्कर्ष जगह पढ़ाई कर रहे हैं। उस समय सुविधा के अभाव में संस्थान छोड़ के क्यों नही विदेश चले गए । दरअसल दूसरें देशों की तुलना में भारतियों में राष्ट्रीयता का अभाव है। आज जो देश आगे गए हैं कभी वे भी तो गरीब थे। वहां के संस्थानों में भी सुविधांए कम रही हैं लेकिन वे उटे रहे और गुणवत्ता वाले संस्थान खड़े किये।

मेरिट का आशय का मतलब यह नही की केवल ज्यादा नंबर प्राप्त करना। ये मेरिट वाले गुणवत्ता वाले संस्थानों से क्यों नही तुलना करते। उन्होंने भी कभी नीचे से शुरुवात की थी। जब ऐसी बात आती है तब तमाम बहाने गिना दिए जाते हैं। तब कहां जाती है इनकी होशयारी और बुद्धि। हो सकता है कि ज्यादा बुद्धि जात–पात करने में खर्च होती हो। महिलाओं को दबाने में बुद्धि का प्रयोग तो होता ही है। कुछ बुद्धि जरूर गुटवादी में बेकार होती हैं। खुद मेहनत कर उत्तम बनना और बनाने की बात छोड़ कर विदेश में हुए शोध और ज्ञान के बल पर कब तक काम चलता रहेगा। तमाम भ्रांतियां हैं की आरक्षण से शिक्षा में गिरावट आई है तो ऐसा सोचने वालों को शर्म आनी चाहिए कि एक प्रतिशत भी प्रोफेसर विश्वद्यालायों में आरक्षित वर्ग नही हैं। निचे स्तर पर कुछ अध्यापक एक– दो दशक से आने लगे हैं। आज़ादी के बाद से लगभग सारा का सारा शिक्षक वर्ग सवर्ण वर्ग से था तो क्यों नही ज्ञान, विज्ञान, शोध को आगे बढ़ा सके। छात्र भी शतप्रतिशत सवर्ण वर्ग से थे उन्हें आरक्षित वर्ग के लोग पठन–पाठन से रोकने का काम नहीं किया। रूड़की के प्रोफेसरों की ही मानसिकता देश को पीछे ले जाने के लिए जिम्मेदार है। मेरिट केवल अंक प्राप्त करने से नहीं बनती। उसमें व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए । हो सकता है निकाले गए छात्र साईकल में पंचर लगा सकें और ज्यादा नंबर वाले असफल। विपरीत परिस्थियों में इनकी कार्य क्षमता ज्यादा हो। समय अंतराल के साथ मेरिट वालों से भी ज्यादा तेज हो जाए और ऐसा हो रहा है।

प्रोफेसर अश्विनी देशपाण्डे –स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रोफेसर थॉमस वेक्सकोफ – मिशीगन यूनिवर्सिटी ने व्यापक अध्यन भी किया कि अनुसूचित जाति/ जन जाति अधिकारी– कर्मचारी की वजह से सरकार में काम काज में गुणवत्ता के ऊपर असर नहीं पड़ा बल्कि कुछ क्षेत्रों में उत्पादन बड़े। सर्वे ने सिद्ध कर दिया है कि आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों–अधिकारियों की कार्य क्षमता में कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। यह सच है जब आरक्षित वर्ग के छात्र पढ़ाई कर रहे होते हैं तो परीक्षा में नंबर कम मिलते है लेकिन बाद में किसी से कम नहीं रहते और यह अध्ययन के द्वारा सिद्ध किया जा सकता हैं। आज भी शिक्षा जगत में शतप्रतिशत अध्यापक सामान्य वर्ग से हैं और छात्रों की भी संख्या आरक्षित वर्ग से ज्यादा है तो ये क्यों नहीं यूरोप और अमेरिका जैसे गुणवत्ता वाले बन जाते। आरक्षित वर्ग वाले कोई बल प्रयोग करके रोकते तो नही। हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय में आरक्षण के दूसरे पर्याय अफरमेटिव अक्शन लागू है फिर भी न तो गुणवता में कमी आई और सेकड़ो नौबेल पुरस्कार जीते हैं।

– डॉ. उदित राज
सांसद लोक सभा

+++

बुद्ध बोले- चरित्रहीन स्त्री स्वयं चरित्रहीन कैसे हो सकती है

बुद्ध बोले– चरित्रहीन स्त्री स्वयं चरित्रहीन कैसे हो सकती है जब तक इस गांव के पुरुष चरित्रहीन न हों संन्यास लेने के बाद गौतम बुद्ध ने अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। एक बार वह एक गांव में गए। वहां एक स्त्री उनके पास आई और बोली– आप तो कोई राजकुमार लगते हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि इस युवावस्था में गेरुआ वस्त्र पहनने का क्या कारण है? बुद्ध ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि तीन प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए उन्होंने संन्यास लिया। यह शरीर जो युवा व आकर्षक है पर जल्दी ही यह वृद्ध होगा, फिर बीमार व अंत में मृत्यु के मुंह में चला जाएगा।

मुझे वृद्धावस्था, बीमारी व मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। उनसे प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। शीघ्र ही यह बात पूरे गांव में फैल गई।

गांववासी बुद्ध के पास आए व आग्रह किया कि वे इस स्त्री के घर भोजन करने न जाएं क्योंकि वह चरित्रहीन हैं। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा– क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा कि मैं शपथ लेकर कहता हूं कि वह बुरे चरित्र वाली है।आप उसके घर न जाएं बुद्ध ने मुखिया का दायां हाथ पकड़ा और उसे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा– मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता क्योंकि मेरा दूसरा हाथ आपने पकड़ा हुआ है। बुद्ध बोले– इसी प्रकार यह स्वयं चरित्रहीन कैसे हो सकती है जब तक इस गांव के पुरुष चरित्रहीन न हों। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो यह औरत ऐसी न होती इसलिए इसके चरित्र के लिए यहां के पुरुष जिम्मेदार हैं। यह सुनकर सभी लज्जित हो गए।

– डॉ. उदित राज

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, हमें लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए
एक वर्ष : 150 रुपए

राजस्थान परिसंघ की बैठक 9 अगस्त को जयपुर में

डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय चेयरमैन, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ 9 अगस्त, 2015 को प्रातः 11 बजे से कम्युनिटी हॉल, नगर निगम, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पीछे, मोती डूंगरी, जयपुर, में प्रान्तीय बैठक एवं जागृति सम्मेलन को सम्बोधित करेगें। आपसे निवेदन है कि साथियों सहित भाग लें।

सम्पर्क : मुकेश मीना, मो. 08003272364
श्री विश्राम मीना मो. 09413915275, श्री मूला राम मो. 9530188299

क्या नेपाल फिर हिन्दू राष्ट्र बनने के लिए अभिशप्त होगा

'नेपाल फिर बनेगा हिन्दू राष्ट्र–की खबर अखबारों में पढ़ कर धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्यायवादी बुद्धिजीवी सकते में हैं। ऐसा इसलिए कि नेपाल में बनने जा रहे संविधान के मसौदे में में 'धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र' का जिक्र हुआ है। बहरहाल अखबारों के अनुसार नेपाल अपनी पुरानी पहचान को कायम करते हुए फिर से हिन्दू राष्ट्र बनेगा। वहां की राजनीतिक पार्टियों ने लाखों लोगों की प्रतिक्रिया लेने के बाद नए संविधान से 'धर्मनिरपेक्ष'शब्द हटाने का निर्णय ले लिया है।संविधान सभा के मुताबिक अधिकांश लोग धर्मनिरपेक्ष की जगह 'हिन्दू'तथा 'धार्मिक आजादी' शब्द इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। माओवादी नेता पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड ने कहा है 'संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द फिट नहीं बैठता। इस शब्द ने लोगों को परेशान किया है। इसने लाखों लोगों की भावना को आहत किया है। हमें लोगों के फैसले का आदर करना चाहिए। वहीं नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नेपाल–यूनिफाइड मर्किसिस्ट लेनिनिस्ट और मधेशी पार्टियों ने भी संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने पर रजामंदी जाहिर की है।

काबिले गौर है कि नेपाल में राजशाही का खात्मा करनेवाली नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल–माओवादी के दबाव में 2007 में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। इस फैसले ने नेपाल के सदियों पुराने हिन्दू साम्राज्य होने की पहचान को समाप्त किया था। किन्तु जिन कम्युनिस्ट दलों ने दवाब डालकर इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करवाया था, आज वे ही धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के समर्थन में आ खड़े हुए हैं तो उसका कारण यह है कि हिन्दू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर देश में जगह–जगह उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मांग को लेकर पूरे देश में अभियान चल रहा है। इसकी अगुआई राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेतृत्व में कमल थापा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को परोक्ष समर्थन सीपीएन दृयूएमएल और नेपाली कांग्रेस जैसे दल कर रहे हैं जो हमेशा से ही देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित करने के खिलाफ रहे। जानकारों के मुताबिक इस खेल में भारत के आरएसएस के आनुषांगिक संगठनों की भी प्रभावी भूमिका है। बहरहाल जिन धर्मनिरपेक्षता विरोधी दलों के प्रत्यक्ष व परोक्ष उकसावे में आकर निरीह जनता हिन्दू राष्ट्र की मांग कर रही है, उसकी भावना का सम्मान करते हुए कैसे वामपंथियों ने धर्मनिरपेक्षता से मुंह मोड़ लिया, यह सवाल किसी भी प्रगतिशील व्यक्ति को परेशान कर सर सकता है। इसके कारणों की तफ्तीश के लिए एक बार 'हिन्दू राष्ट्र' नेपाल के इतिहास का सिंहावलोकन कर लेना होगा।

इस विषय में पत्रकार अनिल चमड़िया की शोध पुस्तिका 'नेपालरूहिन्दू राष्ट्र होने की त्रासदी' काफी महत्वपूर्ण सूचनाएं सुलभ कराती है। यह बतलाती है कि आज का हिन्दू राष्ट्र नेपाल 1768 के पूर्व कई छोटे–छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। पृथ्वी नारायण शाह नामक राजा ने तब 'हिन्दूवाद' के धार्मिक भावना के आधार पर नेपाल के एकीकरण का सिलसिला शुरू किया था जो 1860तक सत्ता में परिवर्तन के साथ भी जारी रहा। पृथ्वी नारायण शाह के बाद 1846 में सत्ता हथियाने वाले जंग बहादुर राणा हिंदूवादी व्यवस्था लागू करने में कई कदम और आगे निकल गए। 1854 में जंग बहादुर राणा यूरोप के दौरे पर गए और वापस आने के बाद नेपाल में 'मुल्की आइन' नाम से कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया। इस कानून के माध्यम से जाति व्यवस्था को शासकीय मान्यता दे दी गयी। इसमें जाति व्यवस्था को कठोर बनाते हुए विभिन्न जातियों के कर्तव्य व अधिकार निर्दिष्ट किये गए। काफी हद तक भारत की उस वर्ण/जाति–व्यवस्था की तरह जो सदियों से शक्ति के स्रोतों–आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक के बंटवारे की व्यवस्था रही। मुल्की आइन के फलस्वरूप भारत के सवर्णों की भांति जहां नेपाल के ब्राह्मण, क्षत्रिय जैसी कुछ खास जातियों का शक्ति के स्रोतों पर एकाधिकार स्थापित हुआ, वहाँ दलित, आदिवासी, पिछड़े और धार्मिक अल्पसंख्यक अशक्त व गुलामों जैसी जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त हुए।

मुल्की आइन के फलस्वरूप जब ब्राह्मण–क्षत्रियों का प्रभुत्व पूरी तरह स्थापित हो गया, तब इसके विरोध में विभिन्न जन–जातियों में विरोध की सुगबुगाहट हुई, जिसे संगीनों के बल पर दबा दिया गया।इस बीच नेपाल को हिन्दू राष्ट्र और राजा को हिन्दू धर्म का पर्याय बनाने का बलिष्ठ प्रयास होता रहा। शासकों ने अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए हिन्दू धर्म के इस्तेमाल में दो तरीके अपनाये। पहला तो यह कि इसे प्राकृतिक तौर पर हिन्दू राष्ट्र बताया गया और दूसरे यह व्यवस्था दी गयी कि यहाँ का हर निवासी हिन्दू है। धर्म परिवर्तन पर कठोरता पूर्वक निषेध जारी कर दिया गया। यह निषेध इसलिए किया गया ताकि इसके जरिये इसके हिन्दू राष्ट्र होने का तर्क दिया जा सके। दूसरा यह कि अच्छी खासी तादाद में मौजूद बौद्ध धर्मावलम्बियों को यह समझाया जाता रहा कि उनका धर्म हिन्दू धर्म की एक शाखा है। इसके पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी। इससे बौद्ध धर्म के भीतर घुसपैठ करने और अपने ढंग से संस्कृति थोपने में बहुत आसानी हुई। जबकि यह तथ्य है कि इसी नेपाल के लुंबिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था जिन्होंने वर्ण–धर्म आधारित हिन्दू धर्म के खिलाफ ऐतिहासिक संग्राम चलाया था। राणा शासन नेपाल में 1950 तक यानि 104 वर्षों तक कायम रहा। इन वर्षों में नेपाल भारत की तरह उपनिवेशिक नहीं रहा।

नेपाल में 1948के पहले कोई लिखित संविधान नहीं था। राजा की मर्जी और इशारे ही आदेश और कानून हुआ करते थे । 1948में राणाशाही के वंशज प्रधानमंत्री पद्म शमशेर राणा ने पहली बार एक लिखित संविधान लागू करने की कोशिश की। यह कोई राणाशाही की सदिच्छा नहीं थी। बल्कि भारत में आजादी की चली बयार नेपाल में अच्छी तरह से चारो ओर फैल रही थी और राणाशाही को कुछ खतरे की आहट महसूस होने लगी थी। ऐसे में खुद को लोकतांत्रिक और नेपाल की हितैषी दिखाने के लिए शमशेर राणा ने संविधान की लिखित व्यवस्था की। लेकिन असल में यह व्यवस्था भी वंशानुगत शासन को मजबूत करने और अपनी पुरानी व्यवस्था को कानूनी रूप देने के इरादे से की गयी थी। बस इसका रूप आधुनिक यानि लिखित था। लेकिन राणाशाही भी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। 1950 के अंत और 1951 के शुरू में शाह परिवार ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली। शाह परिवार के नए शासक बने राजा त्रिभुवन, जिनसे एक नए राजतंत्र की शुरुआत हुई। राजा त्रिभुवन को अपनी सत्ता चलाने के लिए अपने रुख में थोड़ा बदलाव लाना पड़ा। 1951 में एक अन्तरिम सरकार गठन किया गया तथा एक नया संविधान बनाया गया। लेकिन इसमें सारी सत्ता राजा के अधीन थी और पुरानी व्यवस्था चलती रही। नेपाल के आम नागरिकों को मात्र थोड़े से अधिकार दे दिए गए। राजा त्रिभुवन के बाद उनके नए वंशज राजा महेंद्र को 1955 में राजगद्दी मिली।

राजा महेंद्र के शासनकाल में 1959 में एक नया संविधान तैयार किया गया । इसी वर्ष नेपाल में आम चुनाव हुए और पहली बार जनता द्वारा निर्वाचित 'नेपाली कांग्रेस' की सरकार बी. पी. कोइराला के नेतृत्व में सत्तारूढ़ हुई। लेकिन राजा महेंद्र इसे ज्यादा दिन सहन न कर सके। लिहाजा उन्होंने यह कहते हुए कोइराला सरकार को बर्खास्त कर दिया कि लोकतंत्र के नाम पर देश को बर्बाद होते नहीं देख सकते और अब पुरानी परम्परा और इतिहास के साथ नयी सच्ची लोकतंत्र वाली व्यवस्था लागू करेंगे। परिणाम स्वरूप राजा महेंद्र ने नए संविधान में पहली बार दर्ज किया नेपाल एक हिन्दू अधिराज्य है। इसके पहले कभी भी लिखित तौर पर इस तरह की घोषणा की जरुरत नहीं पड़ी। समझा ही जाता था कि नेपाल एक हिन्दू राष्ट्र है। राजा को अपनी निरंकुश सत्ता बनाये रखने का सर्वोत्तम उपाय हिंदू राष्ट्र की घोषणा ही लगी। संविधान में यह व्यवस्था करने के पीछे सोच यह थी कि इससे न केवल पड़ोसी मुल्क भारत की प्रतिक्रियावादी शक्तियों का समर्थन मिलेगा, बल्कि कई तरह की शक्तियों के दबाव बी.पी.कोइराला का समर्थन करने वाली शक्तियां भी खामोश हो जायेंगी। इस तरह उन्होंने अपनी निरंकुश सत्ता को बनाये रखने के लिए धर्म का जोरदार इस्तेमाल किया। उन्हें यह भी लगा कि जिस तरह विभिन्न वंचित जातीय व धार्मिक समूह गोलबंद व वर्ण–व्यवस्था के खिलाफ मुखर हो रहे हैं, भविष्य में नेपाल को हिन्दू राष्ट्र के रूप में बनाये रखना कठिन होगा। इसकी काट के लिए उन्होंने राजा को हिन्दू धर्म का पर्याय बनाने उपक्रम चलाया और लोगों के दिमाग में भरा कि नेपाल का राजा हिन्दू देवताओं से भी बड़ा है। इस दुनिया में वही अकेला हिन्दू धर्म का रक्षक रह गया है। अतः उसकी और उसकी गद्दी की रक्षा बेहद जरुरी है।

राजा महेंद्र ने न केवल पुरानी चली आ रही सामाजिक व्यवस्था को अटूट रखा बल्कि उसे कई स्तरों पर और मजबूत किया। स्वयं को धर्म का पर्याय बनाये रखने में राजा को कामयाबी मिली। इससे निरंकुश सत्ता के खिलाफ खड़े आन्दोलनों में आम लोगों की भागीदारी न हो सकी। राजा गोलियों और संगीनों के बलबूते आंदोलनों को दबाने में लगातार सफल होता रहा। लोगों के बोलने और इक्कट्ठे होकर बातचीत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस्लामिक राष्ट्र की भांति इकलौते हिन्दू राष्ट्र में महिलाओं को शिक्षित होने से वंचित रखा गया। उधर भारत की हिन्दूवादी शक्तियां इस निरंकुश राजा को अपना समर्थन देती रहीं।

1972 में राजा महेंद्र की मृत्यु के बाद इंग्लैण्ड, टोक्यों, अमेरिका इत्यादि में पढ़ाई किये राजा वीरेंद्र, जिनकी शादी उन्ही की तरह मॉडर्न रानी ऐश्वर्य राजलक्ष्मी से हुई, को हिन्दू राष्ट्र की सत्ता सौंप दी गयी। राजा–रानी ने हिंदूवादी परम्पराओं को और दृढ्तर करने के लिए घरों और दुकानों में बाध्यता मूलक रूप से अपनी तस्वीरें लगवायीं। यही नहीं ,पशुपतिनाथ के मंदिर में भी राजा वीरेंद्र ने अपने सहित पूर्वजों की तस्वीरें लगवा दीं। उस मंदिर में पशुपतिनाथ के चौमुखी लिंगाकार तक जाने का अधिकार, आमजन के लिए निषेध कर स्वयं तथा अपने आत्मीय–स्वजनों तक सिमित रखा। धार्मिक भावनाओं की आड़ में हिन्दू राष्ट्र को अक्षत रखने व अपनी निरंकुश सत्ता कायम रखने के लिए राजा सतत प्रयत्नशील रहा। धर्म के रक्षक राजा लोगों के भीतर बैठे धार्मिक अंधविश्वासों और संस्कारों के कारण एक तरफ लूट्या तो दूसरी तरफ पुजारियों ने मंदिरों को कमाई और ऐय्यासी के अड्डे बना डाले। उधर आमजन का जीवन बद से बदतर होता रहा।गरीबी से तंग आकर महिलाएं भारत के वेश्यालयों में पनाह लेने लगीं। बेरोजगारों की संख्या बढ़ने लगी जिससे पहले से कहीं ज्यादा लोग रोजी–रोटी की तलाश में देश से बाहर जाने लगे। लेकिन राजा और उसका परिवार सम्पन्न होता चला गया। राजा और राज परिवार के सदस्यों ने अपने बड़े–बड़े व्यवसाय खड़े कर लिए।

राजा और पुजारियों के बाद राजनीतिक पार्टियों ने भी धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करना शुरू किया। नेपाली कांग्रेस के कृष्णा प्रसाद भट्टराई के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार को भावी निर्वाचित सरकार के गठन के पूर्व एक नए संविधान को बनाने की जिम्मेवारी दी गई। इस संविधान में सबसे ज्यादा विवाद इस व्यवस्था का उल्लेख किये जाने को लेकर हुआ कि नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा या फिर किसी तरह हिन्दू राष्ट्र ही बनाये रखा जाय। नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किये जाने को लेकर वहां के विभिन्न अंचलों में आवाज उठी। राजधानी में प्रदर्शन हुए। विभिन्न जनजातियों ने और भाषाई समुदायों ने हिन्दू राष्ट्र की व्यवस्था को खत्म किये जाने की मांग की। कई लोगों का मानना रहा है कि नेपाल में हिन्दुओं का बहुमत नहीं है। इस सच्चाई को जानते हुए कि नेपाल में हिन्दुओं का बहुमत नहीं है, सत्ता पर काबिज ब्राह्मण और क्षत्रियों ने कभी भी जातीय आधार पर जनगणना नहीं होने दिया । बहरहाल विभिन्न जनजातीय और भाषाई समूहों की मांग के बावजूद हिंदूवादी शक्तियां किसी भी तरह नेपाल को धर्मनिरपेक्ष की जगह हिन्दू राष्ट्र घोषित किये जाने पर आमादा थीं। नेपाल में राजा यह व्यवस्था इसलिए बरकरार रखना चाहता था ताकि उसकी गद्दी और सत्ता सुरक्षित रहे। राजा वीरेंद्र को यह पता था कि हिन्दू राष्ट्र की व्यवस्था होने पर नेपाल का राजा कोई हिन्दू ही हो सकता है। हिन्दू राष्ट्र होने की स्थिति में उसका वंश इस पद का हकदार बना रहेगा। नेपाली कांग्रेस में इस बात को लेकर अंतर्विरोध था। लेकिन कम्युनिस्टों की ताकत को बढ़ते देख नेपाली कांग्रेस ने भी हिन्दू राष्ट्र का समर्थन कर दिया।

संविधान में हिन्दू राजतंत्रात्मक अधिराज्य की व्यवस्था तो कर दी गयी लेकिन इससे वहां जबरदस्त असंतोष उभरकर सामने आया। लोकतंत्र में संगठित होने और संगठन बनने के अधिकार का लाभ उठाते हुए बड़ी तेजी से विभिन्न जनजातियों के संगठन वजूद में आ गए और अपना मोर्चा बनाने तथा नेपाल की विभिन्न सरकारी नौकरियों में, जहाँ ब्राहमण–क्षत्रियों का वर्चस्व है, आरक्षण की मांग उठाने लगे। यह नेपाल की उस वर्ण–व्यवस्था के विरुद्ध जनजतियों का उभार था जिसके कारण ही वे विकास की दौड़ में पीछे रह गए। हिन्दू–धर्माधारित व्यवस्था के विरुद्ध जनजातियों में पनपते आक्रोश का अनुमान लगा कर कम्युनिस्टो को उनके बीच पैठ बनाने में सफलता मिलने लगी। बहरहाल 240 वर्ष पूर्व पृथ्वी नारायण शाह द्वारा स्थापित जिस धर्माधारित हिन्दू राष्ट्र में दलित–आदिवासी–पिछड़े पिछले दो सौ सालों से अशक्तय बेरोजगार 'गोरखा बहादुर' दूसरे देशों में झाड़ू–पोछा–दरवानी तथा महिलाएं

पृष्ठ शेष 6 पर

अनोखा भारतीय लोकतंत्र

भारतीय लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा। दुनिया के ज्यादातर देशों में लोकतंत्र है। कुछ लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व हो चुका है। वहां जब चुनाव होते हैं तो न पुलिस सुरक्षा कि व्यवस्था की आवश्यता होती है और न ही गुंडो और काले धन का दबदबा। कोई भी सरकारी कर्मचारी वोट पड़ने के स्थान पर जाकर चुनाव करा लेता है और किसी तरह की हेरा फेरी नही होती। ऐसे देशों में जज को जज बनाने की व्यवस्था नहीं है। जब विकसित जनतंत्र में जज कि जज नियुक्ति नहीं कर रहा है तो भारत में तो होना ही नही चाहिए। हमें तो परिपक्वता की तरफ बढ़ना है। वर्तमान में जितना सांदर्भिक प्रश्न न्यायपालिका में जज कि नियुक्ति का है शायद ही और ऐसे विषय होगें। 99 वां संवैधानिक संशोधन के तहत नेशनल जुडीशीयल एपोइन्टमेंट कमिशन (एनजेएस) बनाया गया ताकी सभी को न्याय मिल सके और योग्य लोगों की नियुक्ति हो। 20 राज्यों ने सहमती भी दे दी है। इसको यह न समझा जाए कि न्यायपालिका के सामने सारे राजनैतिक दल एक हो गए । आम जनता के अन्दर की आवाज़ के वजह से उन्हे करना ही पड़ा वरना ये कहां एक होते हैं। इसके बाद कोई विवाद नही होना चाहिए था फिर भी मुकदमें बाजी शुरू हो गई। तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे राजनैतिक प्रभाव बढ़ेगा। आज़ादी के बाद से लेकर 1998 तक कार्यपालिका की नियुक्ति में अहम भूमिका रही हैं। लोग पुरानी व्यवस्था को याद करने लगे हैं कि वह कहीं ज्यादा अच्छी थी। उसी व्यवस्था ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को भी अवैध ठहराया था और आम आदमी मुकदमें लड़ने में इतनी अधिक फीस नहीं देनी होती थी। अब गरीब अपना शरीर भी बेच दे तो भी बड़े वकीलो कि फीस नही दे सकता। एनजेएस 6 लोगों की होगी जिसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगें। इसमें दो जज, कानून मंत्री और दो प्रबुद्ध नागरीक होगें। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे नियुक्ती में राजनैतिक प्रभाव बड़े जाएगा। दुनिया के किस लोकतंत्र में जज कि नियुक्ति जज के हाथ में है, कोई मिसाल नही है और न ही हो सकता है। यह अनोखी व्यवस्था भारत में ही है। इसे संतुलित करने की कोशिश की गई तो कुछ नीहतार्थ स्वार्थी विवाद खड़ा कर रहे हैं। दूसरे देशों जैसे जज की भूमिका नियुक्ति में नही होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में निष्पक्षता से जांच पड़ताल करना चाहिए।

अमेरिका में सिनेट कमिटी नामों को चुनती है और फिर कुछ दिनों तक जनता में विभीन्न माध्यमों से इनके बारे में चर्चा कराया जाता है। इतनी भयंकर जांच पड़ताल होती है कि होने वाले जज की जिन्दगी का कोई भी पक्ष अनछुआ नही रह जाता। इसके बाद अमेरिका की सिनेट उसे पास करती है। रूस में आधे जज राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और आधे सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। जर्मनी में दोनों सदनो के द्वारा चुने जाते हैं। इंग्लैड में सेलक्शन कमिशन द्वारा जज बनते है। वहां भाई भतीजा वाद इसीलिए नही है। भारतीय संविधान की धारा 124 में आज भी है कि जज की नियुक्ति में कार्यपालिका की ही अहम भूमिका होगी। यह अधिकार उच्च न्यायपालिका ने अपने निर्णय के द्वारा छीन लिया और 1998 से जज ही जज बनाने लगे। जनता ने कोई विरोध नही किया लेकिन जैसे-जैसे दिन बीते

अन्दर अन्दर बेचैनी पैदा होती गई हैं। जजों कि अलोचना पर पाबंदी है, इस लिए मामला अन्दर सुलग रहा है। वकालत करने से लेकर जज बनने तक जब कोई एक ही पेशा में रहे, लगातार मिलना-जुलना हो तो निश्चित तौर से एक-दूसरे के प्रति थोड़ा बहुत मित्रूता और शत्रुता पैदा हो जाती है। इसलिए निष्पक्षता के लिए यह जरूरी है कि जजों की नियुक्ति में इनकी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद में एनजेएस में 3 जज हैं तो फिर क्या चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री ए.पी शाह ने कहा की मृत्यु दंड सिर्फ गरीब और दलितों के लिए है। मृत्यु दंड गरीबों को अधिक मिलता है। प्रथम महिला वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जैसिंह ने जनहित याचिका दायर करके कहा कि वरिष्ठ वकील बनाने में कोई पार्दशिता नहीं है। मन-मानी और भाई भतीजा वाद है क्योंकि चुनाव करने का कोई मापदंड निर्धारीत नही है। धारा 16 एडवोकेट एक्ट के तहत सीनियर वकील बनाने का काई निश्चित योग्यता का पैमाना नही हैं। जनहित याचिका के द्वारा इंदिरा जैसिंह ने मांग की वरिष्ठ अधिवक्ता बनाने के लिए कोई मापदंड होना चाहिए। याचिका में कहा गया कि 15 साल में केवल एक दलित और दो पिछड़े वरिष्ठ वकील हो सके। कितना बड़ा भेदभाव है, समझना मुश्किल नही है। याचिका में आरोप लगाया है कि जिन वकीलों की माहिरीयत मानवाधिकार, अंर्ताराष्ट्रीय कानून, फेमिली लॉ और विशिष्ट विषय जैसे आंर्तराज्यीय नदी जल वंटवारा, साइबर लॉ आदि में है उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं बनाया जाता। भारत के अटोर्नी जनरल मुकुल रोहतगी नें सही तर्क दिया है कि एनजेएस से संघीय ढ़ाचा में फरक नही पड़ेगा। उन्होंने कहा की न्यायपालिका के आत्मनिर्भता पर इससे कोई असर नही पड़ेगा। नियुक्ति के बाद ही जब जज कार्य करते है तभी प्रश्न खड़ा होता है कि हस्तपेक्ष किया जा रहा है कि नहीं, जो की ऐसा नही है। मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट में ऐसे जज है जो पूरे जीवन काल में 100 मुकदमें भी नही निपटा पाये फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए और हजारों मुकदमे करने वाले हाई कोर्ट में रह गए । ऐसे जज हैं जो 11 से 12 या 3 से 4 बजे तक ही बैठते हैं ऐसे में करोड़ो मामले क्यों न लंबित हों। इसको कॉलोजियम का फेल होना न माने तो क्या कहें। संसद को अधिकार है कानून बनाने का कि क्या तरीके जज कि नियुक्ति के हों।

हास्याष्पद तब लगा जब एनजेएस के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के जजों ने तर्क दिए गए कि इससे दलितों एवं महिलाओं की न्यायपालिका में आने का रास्ता बंद हो जाएगा। यह तर्क तब ठीक होता जब न्यायपालिका में कॉलोजियम के द्वारा महिलाओं और दलितों को जज बनया गया होता। एनजेएस व्यवस्था आने से अब संभावना है कि दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को जगह मिल सकेगी। बिगड़ा हुआ क्षेत्रीय संतुलन ठीक होगा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक भी दलित जज नही हैं। एक जाने माने वकील ने यह तर्क कह दिया कि सांसदो को एनजेएस के बारे में समझ ही नही है। उनके अनुसार सांसद मूर्ख हैं। निष्पक्षता बनाये रहने के लिए नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन ने कहा कि वकीलों की भूमिका जज के चुनाव में नहीं होनी चाहिए। ये जाने माने वकील लगता है कि इंडियन पेलन कोड, सीआरपीसी, इंडियन ऐविडन्स एक्ट, जुरिसप्रुडेन्स आदि के जन्म दाता हों और जनता के द्वारा चुने गए सांसद मंद बुद्धी के। इस तरह से इन्होंने जनता को मूर्ख समझा क्योंकि सांसद को चुनते तो वही हैं। एक सांसद कि अपनी समझ या पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो यह नही भूलना चाहिए कि वह जनता थी सूझ बूझ का नेतृत्व करता है। इसी देश में इतना बोलने की आजादी है। यहां तक कह दिया कि जी टु एक्सपेट्रम के आरोपी भी प्रबुद्ध नागरिक हैं उन्हे भी एनजेएस में हिस्सा दिया जा सकता है। बेहतर होता की विकसित जनतंत्र की तरह यहां पर जजों की नियुक्ति होती। कार्यपालिका में अहम भूमिका होने से यह तो था कि जनता उसका कान तो पकड़ सकती थी। एनजेएस से चीजे बदलेंगी, करोड़ो मुकदमों का निपटारा जल्दी हो सकेगा और आम जनता भी अपने मुदकमें उच्च न्यायपालिका में लड़ सकेगी।

– डॉ. उदित राज
सांसद एवं
राष्ट्रीय अध्यक्ष
अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों
का अखिल भारतीय परिसंघ

✦✦✦

20 सुत्रीय कार्यक्रम के आवंटित भूमि के मालिकाना हक के लिए परिसंघ ने राष्ट्रपति से मुलाकात की

17 जुलाई, 2015 को माननीय डॉ. उदित राज सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के नेतृत्व में दिल्ली परिसंघ इकाई एवं दिल्ली देहात इकाई के पदाधिकारियों ने महामहिम भारत के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से भेट की और पिछले 40 वर्षो से 20 सुत्रीय कार्यकम के अन्तर्गत (दिल्ली लैंड रिफार्म एक्ट 1954) नियम के अनुसार सन 1870 – 1976 में दिल्ली देहात के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व कर्मजोर वर्गो में कृषि योग्य भूमि का मालिकना अधिकार आज तक नही मिला जिसके लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय से स्वीकृति देने हेतू अनुरोध किया है। उपरोक्त विषय पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस विषय पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसके उपंरात प्रतिनिधि मण्डल ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति का तहेदिल से धन्यवाद किया।

माननीय डॉ. उदित राज सांसद के नेतृत्व में दिल्ली परिसंघ इकाई के उपाध्यक्ष श्री करम सिंह कर्मा, महासचिव श्री रविन्द्र सिंह, सचिव श्री सत्यानारायण, सचिव श्री भानू प्रकाश व दिल्ली देहात इकाई के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार व उपाध्यक्ष श्री संतबीर सिंह ने भेट की

आज पूरा दिल्ली देहात के दलित किसान माननीय डॉ. उदित राज सांसद के ऋणी है। क्योंकि लगभग 40 वर्षो से इन गरीबों की आवाज को नहीं उठाया और सभी दर-दर की ठोकरे खाते रहे किन्तु डॉ. उदित राज साहब से मिलकर सभी ग्राम वासियों को यह यकिन हो गया कि एक आदर्श पूर्ण हसित हमारे साथ जुड़ चुकी है। और जल्द ही कोई निर्णय की घड़ी आने वाली है। 3 जून 2015 को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदित राज ने जन्तर-मन्तर से गरीब दलितों/ पिछड़ों वर्ग को सम्बोधीत करते हुए बोले अब यह कार्य आपका नहीं मेरा है और यह मेरी चिंता है। आपको चिंता नहीं करनी है। शायद आज तक के इतिहास में हमने कभी किसी को नही सुना कि आप चिंता न करे यह एक साधारण बात नही है। किन्तु हमारे समाज के लिए एक गौरव का विषय है।

हाल में नाजफगढ़ में हुई महापंचयात को दिल्ली इकाई के श्री रविन्द्र सिंह व श्री सत्य नारायण ने दिल्ली परिसंघ इकाई की तरफ से सम्बोधीत किया । और माननीय डॉ. उदित राज सांसद से पूरा दिल्ली देहात को जोडने का विषय उठाया। जिसका पूर्णतः देहात के सभी पदाधिकारियों में घर-घर जाकर परिसंघ से जोड़ने की बात को स्वीकार किया। हाल में परिसंघ की तरफ से दिल्ली इकाई व दिल्ली देहात ईकाई ने मिलकर सदस्यता अभियान का कार्य बड़ी ही कार्यकुशलता से निभाया। करीब 1,10,000 की धन राशि व सदस्यता बनाया आश्वासन दिया कि इस मुहिम में दिल्ली परसिंघ के महासिचव श्री रविन्द्र सिंह के नेतृत्व में एक Task Force का गठन किया गया है। और उसमे दिल्ली के मुख्य पदाधिकारियों को यह कार्य सौंफा गया है। श्री कर्म सिंह कर्मा उपाध्यक्ष, सत्य नारायण, सचिव श्री भानू पुनिया, सचिव श्री दया राम, सचिव, श्री हरिप्रकाश, सगठन सचिव श्री वाई के आनन्द, श्री अशोक अहलावत अध्यक्ष (दिल्ली देहात यूनिट) व उपाध्यक्ष श्री सतबीर सिंह, श्री मंगत राम कोषाध्यक्ष, श्री हरीश अहलावत मिडिया प्रभारी प्रमुख हैं ।

इस बाबत माननीय डॉ. उदित राज ने सभी सदस्यों को बधाई दी और समाज के लिए कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित किया। परिसंघ के सभी सदस्यगण माननीय डॉ. उदित राज का ह्रदय से अभिवादन किया।

– सत्य नारायण
सचिव परिसंघ दिल्ली

महामहिम भारत के राष्ट्रपति के साथ डॉ. उदित राज, सांसद , रविन्द्र सिंह, सत्य नारायण, करम सिंह कर्मा, भानू प्रकाश, अशोक अहलावत चर्चा करते हुए

19 जुलाई को परिसंघ का एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं दलित आरक्षण चिंतन बैठक सम्पन्न

शेष पृष्ठ 1 का

बनते चले आ रहे हैं। ज्यूडिशियल कमीशन से दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का हित होगा, क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व भी जजों की नियुक्ति में होगा। सभी परिसंघ के साथी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्य न्यायाधीश को लिखें कि वर्तमान कोलिजियम सिस्टम से दलितों का बहुत हानि हुई है। हम ज्यूडिशियल कमीशन का समर्थन करते हैं।

डॉ. उदित राज जी ने कहा कि अगस्त के प्रथम सप्ताह से सदस्यता की समीक्षा शुरू की जाएगी। कुछ लोगों को मैं समीक्षा के लिए दिल्ली भी बुलाऊंगा और सुदूर क्षेत्रों से जहां हवाई यात्रा की सुविधा है, वहां पहुंचकर मैं स्वयं समीक्षा लूंगा। उन्होनें कहा कि ऑडियो पर कांफ्रेस के द्वारा भी सदस्यता की समीक्षा की जा सकती है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष सक्रिय लोगों के मोबाइल नं. ईमेल कर दें तो संवाद में आसानी हो जाएगी। एक बार में 480 लोगों से एक साथ संवाद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पचासों नेता तैयार होने चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व करें। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति के मष्तिस्क की क्षमता बहुत होती हैं। व्यक्ति अपने मस्तिस्क की क्षमता का 5-10 प्रतिशत भी उपयोग अपने जीवन में नहीं कर पाता है। उन्होंने कहा कि लोग सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यदि हम थोड़ा सा भी प्रयास करें तो लोगों को जोड़ना और सदस्यता करना कोई मुश्किल का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपने-अपने प्रदेशों में सभी जिलों का गठन नहीं कर पाएं हैं। जब तक ऐसा नहीं करेगें तब तक उनकी लीडरशिप प्रभावी नहीं हो पाएगी। मंच का संचालन परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री ब्रह्म प्रकाश ने किया। उन्होंने कहा कि जो लोग भरे मंचों पर डॉ. उदित राज जी की आलोचना करते हैं, वे भी अपने घरों में और लाइब्रेरी में डॉ. उदित राज के लेखों और भाषणों की प्रतियां संजोकर रखते हैं। इसी से डॉ. उदित राज जी की विद्वता और समाज के लिए महत्ता का पता लग जाता है। दिल्ली प्रदेश के महासचिव, श्री रवीन्द्र ने कहा कि आज डॉ. उदित राज पर आरोप लगता है कि वे भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो मैं आप सभी को थोड़ा पीछे ले जाने की कोशिश करता हूं कि पूरे देश में हमारी जो

सम्मेलन में शामिल हुए विभीन्न प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं शुभचिंतक

एसोसिएशन बनी हुई हैं और उन ऐसोसिएशन के पैट्रन सत्ताधारी पक्ष के सांसद हुआ करते थे, उनके माध्यम से हम अपनी संस्थाओं के पत्र लिखाया करते थे और अपनी समस्याओं का समधान किया करते थे। आज जब हमारे संगठन के मुखिया ही सांसद हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है। आज

डॉ. उदित राज जी को चांदी के मुकुट से सम्मानीत किया गया एवं ब्रह्म प्रकाश जी को तलावर भेंट की गयी

हम लोग अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं यदि बाबा साहेब का आरक्षण नहीं होता तो आज हम इस स्थिति में नहीं पहुंचते। श्री रवीन्द्र सिंह ने आगे कहा कि दिल्ली यूनिट में डॉ. नाहर सिंह - अध्यक्ष, कर्मसिंह कर्मा - उपाध्यक्ष, रवीन्द्र सिह - महासचिव, धारा सिंह, सत्य नारायण, आर.एस. हंस, भानु पुनिया, योगेश आनंद, बलबीर सिंह - सभी सचिव, जयराम सिंह कोषाध्यक्ष, अशोक अहलावत आदि का निरंतर सहयोग मिल रहा है और दिल्ली में परिसंघ के कार्य को गति मिली है। दिल्ली यूनिट ने सदस्यता का विवरण देते हुए कहा कि एक लाख पांच हजार का सहयोग सदस्यता के विरूद्ध आई धनराशि सौंपी जा रही है। उन्होंने परिसंघ के सभी साथियों से अपील किया कि व्यक्तिगत् रूप से घर-घर जाकर सदस्यता करें तो एक अच्छा संदेश पूरे देश में जाएगा।

उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री जगजीवन प्रसाद ने बताया कि वे अभी तक उत्तर प्रदेश के चार-पांच मंडलों का ही पुनर्गठन कर पाएं हैं। उत्तर प्रदेश में 70 जिले हैं। अभी सभी जिलों का दौरा करने में लगभग दो महीने का समय लगेगा। मैं सभी जिलों में जाकर सबसे पहले जिलों का गठन करूंगा। उन्हें पदाधिकारी बनाऊंगा उसके बाद उन्हें सदस्यता की जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग सरकारी नौकरियों में नहीं हैं और दलित समाज से हैं उन्हें भी सदस्य बनाया जा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथियों से अपील किया कि उत्तर प्रदेश पहले भी आगे रहा है और अभी भी पूरे देश में सबसे आगे रखने में मदद करें। उत्तर प्रदेश की इकाई अब दुबारा सक्रिय हुई है और शीघ्र ही इसका असर दिखने लगेगा। उन्होंने कहा कि हमने जब परिसंघ का आंदोलन शुरू किया तो देखते थे कि शादी-ब्याह में कहां पर समाज के सक्रिय लोग एकत्रित हो रहे हैं तो वहां हमारा निमंत्रण नहीं भी होता तो साथियों से कहकर निमंत्रण मंगवाते थे और वहां पूरी टीम के साथ शामिल होकर परिसंघ की बातें किया किया करते थे। यहां तक कि लड़के की शादियों में हम बिना निमंत्रण के भी जाकर परिसंघ के आंदोलन के बारे में बताया करते थे। अपने जिले एवं प्रांत में इसी प्रकार की गतिविधियां आंदोलन को बढ़ाने के लिए करनी होगीं। सक्रियता बढ़ाने के लिए तरीके निकालने पड़ते हैं।

महासचिव श्री धर्म सिंह ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के बाद हम माननीय उदित राज जी को देख रहे हैं। आज तक पार्लियामेंट में एक साल के अंदर दलितों के मुद्दे पर 30 से से भी ज्यादा बार आवाज उठायी है। आज तक इतनी बार मुद्दा उठाने वाला आज तक के इतिहास में कोई दूसरा सांसद नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि आगामी दिसंबर माह में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है और यह रैली अपने आप में ऐतिहासिक होगी।

श्री परम हंस प्रसाद, अध्यक्ष मध्य प्रदेश परिसंघ ने कहा कि अनुसूचित जाति/जन जाति के समक्ष जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आपने सुना और उन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमको और आपको मिलकर डॉ. उदित राज के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा और जब तक हम सभी लोग मिलकर डॉ. उदित राज के हाथों को मजबूत नहीं करेगें तक हमारा जो मुख्य मुद्दा है, निजी क्षेत्र में आरक्षण वह नहीं मिलेगा। जिस दिन इस सरकार को पता लग जाएगा कि पूरे देश के अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के साथी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और डॉ. उदित राज की बात नहीं मानी जाती है तो अगली सरकार बनाने में भाजपा को मुश्किल होगी।

आन्ध्रा प्रदेश के संयोजक डॉ. श्याम प्रसाद ने अपने द्वारा आन्ध्रा प्रदेश में की गई गतिविधियों के बारे में बताया और कहा कि उन्होंने सदस्यता बढ़ाने के लिए अपने प्रान्त के सभी जिलों में टीमें गठित की और अभी तक उनके द्वारा 6 हजार लोगों को सदस्य बनाया जा चुका है। और 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है। जिस दिन यह लक्ष्य पूरा होगा, उस दिन आन्ध्र प्रदेश में एक शपथ समारोह का आयोजन किया जाएगा।

महाराष्ट्र के नागपुर प्रभाग से दीपक तभाने ने संबोधित करते हुए कहा कि सदस्यता का अभियान नागपुर प्रभाग में शुरू किया गया है। अभी तक वहां पर लगभग 500 सदस्य बनाए जा चुके हैं।

हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश जरावता ने कहा कि हरियाणा के लगभग 8 जिलों का दौरा मैं कर चुका हूं और लगभग 1250 सदस्य बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर लगभग 21000 सदस्य हम हरियाणा में और बना लेगें। उन्होंने कहा कि परिसंघ के आंदोलन के कारण ही हरियाणा में पदोन्नति में आरक्षण अभी भी मिल रहा है। उन्होंने इस कार्य में सहायोग करने के लिए महासिंह भूरानिया, सत्यवान भाटिया सहित अन्य साथियों को धन्यवाद दिया।

पंजाब से श्री तरसेम सिंह ने कहा कि पंजाब में सदस्यता के 5000 फार्म मिले थे, जिसमें से 3500 सदस्य बनाए जा चुके हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से हमारे कुछ जिलों के सहयोगी यहां नहीं आ पाए तो उसमें से कुछ फार्म और 20 हजार रूपये हम जमा करवा रहे हैं और शीघ्र ही हम पूरे 3500 फार्म राष्ट्रीय कार्यालय को जमा करवा देगें।

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से सदस्यता का ब्योरा देते हुए श्री नीरज चक ने कहा कि औरैया और इट्वा जिले की ओर से लगभग 350 सदस्य बनाए गए है और 30,000 रूपये जो सदयस्ता से प्राप्त हुए हैं अभी जमा करवाया जा रहा है।

सीबीएससी से श्री खेमचन्द्र ने कहा सीबीएससी में 75 सदस्य बनाए जा चुके हैं और व्यक्तिगत रूप से आज 10 हजार रूपये की सहयोग राशि जमा करायी जा रही है।

महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष सिद्धार्थ भोजने ने कहा कि महाराष्ट्र के 34 जिलों में से 30 में हमने दौरा किया और एक हजार सदस्य पूरे हो चुके हैं। एक हफ्ते के अंदर ही 5 हजार सदस्य पूरे हो जाएंगें।

तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश्वर राज ने कहा कि आज की चिंतन बैठक एवं सदस्यता हेतु आयोजित यह सभा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। अभी तक 3000 सदस्य बनाए जा चुके हैं। शीघ्र ही तेलंगाना और आन्ध्रा प्रदेश से 50 हजार सदस्य बना लिए जाएंगें।

बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, श्री मदन राम ने कहा कि बिहार में सदस्य बनाने हेतु हमें 2200 फार्म मिले थे जिसमें से 1300 सदस्य अभी तक बनाए जा चुके हैं। सदस्यता अभियान चल रहा है। शीघ्र ही हजारों की संख्या में सदस्य और बनाए जाएंगें।

परिसंघ के सलाहकार श्री परमेन्द्र ने कहा कि मुझे डॉ. उदित राज के लोक सभा क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिल्ली में परिसंघ का काम सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि हमें इस क्षेत्र के लिए 1500 फार्म मिले थे उनमें से 1100 सदस्य अभी तक बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब भाजपा के लिए दस करोड़ सदस्य बनाए जा सकते हैं तो क्या परिसंघ के लोग 10 लाख सदस्यता भी नहीं कर सकते। हमें तो एक-दो करोड़ सदस्य बना डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/जन जाति के जो छात्र बी.टेक और पॉलिटेक्निक करना चाहें । हमसे सम्पर्क करें उन्हें निःशुल्क कराने की योजना है। उन्होंने कहा कि टाटा ग्रुप में जो लोग रोजगार के इच्छुक हों वे भी मुझसे एवं राष्ट्रीय कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल से श्री वासुदेव मंडल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में अभी तक 300 सदस्य बनाए जा चुके हैं और सदस्यता जारी है शीघ्र ही हजारों की संख्या में सदस्य बनाकर फार्म राष्ट्रीय कार्यालय को जमा करवा दिए जाएंगें।

उत्तराखंड से श्री हीरा लाल ने बताया कि अभी तक लगभग 200 सदस्य उत्तराखंड में बनाए जा चुके हैं। बारिश के कारण सदस्यता अभियान थोड़ा ढीला हुआ है। शीघ्र ही सदस्यता का विवरण दिया जाएगा।

कार्यक्रम के मध्य में श्री जगजीवन प्रसाद द्वारा लंच का आयोजन किया गया। श्री जगजीवन प्रसाद इसी 31 जुलाई को सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में उन्होनें पूरे देश के लोगों के लिए लंच का अयोजन किया था।

- सी. एल. मौर्य
निजी सचिव

+++

27 जुलाई, 2015 को शून्यकाल के दौरान डॉ. उदित राज जी ने लोक सभा में आई.आई.टी. रुड़की से निकाले गए दलित छात्रों का मुद्दा उठाया

डॉ. उदित राज (सांसद, उत्तर पश्चिम दिल्ली) : स्पीकर महोदया, आपने मुझे बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने की इजाजत दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आई.आई.टी. रूड़की के बारे में बोलना चाहता हूं। वहां से 71 स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया, जिसमें से 31 स्टूडेंट्स अनुसूचित जनजाति, 23 स्टूडेंट्स अनुसूचित जाति और अन्य सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स हैं। अभी हाल में एक सर्वे किया गया कि दुनिया में शिक्षण के जो उच्च संस्थान हैं, उनमें भारत का क्या स्थान है? 300 में से आई.आई.टी. को भी स्थान नहीं मिला, किसी यूनिवर्सिटी को स्थान नहीं मिला। इन आई.आई.टी.ज़ को पैसा और संसाधान मिलते हैं, जमीन की भी कमी नहीं है। इनको एटोनमी है, They can take a decision. Why have they not been positioned to build the institution of international level and repute but they are ahead in victimizing rural background students?

मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हम से नॉन प्रैक्टिकल एजुकेशन और थ्योरी की वजह से रिसर्च में बहुत पीछे हैं, इस कारण इनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि इनमें बेसिक टेलेंट नहीं है, बेसिक ग्रे मैटीरियल नहीं है कि वे आईआईटी न कर सकें।

+++

31 जुलाई, 2015 को शुन्य काल के दौरान सांसद डॉ. उदित राज जी ने लोक सभा में पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा उठाया

उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित बिल राज्य सभा ने 2012 के शीतकालीन सत्र में पास कर दिया था लेकिन लोक सभा में अटक गया था। पदोन्नति में आरक्षण हेतु 85वां संवैधानिक संशोधन श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी और इस मामले को पांच जजों की बेंच ने सुना और कुछ संशोधनों के साथ इसे खारिज कर दिया, यह मामला नागराज के नाम से जाना जाता है। इसी मामले को लखनऊ हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी और लखनऊ हाई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी। उ.प्र. सरकार ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच के समक्ष ले गयी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। न तो लखनऊ हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच नागराज के 5 जजों के निर्णय को बदल सकती है लेकिन दुर्भाग्यवश इस मामले में ऐसा हुआ। राजस्थान एवं बिहार की सरकारें पदोन्नति में आरक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी रखें हुए हैं। पदोन्नति में आरक्षण से 30प्र0 के हजारों कर्मचारी-अधिकारी प्रभावित हो रहे हैं जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। अतः मैं सरकार से अपील करता हूं कि अतिशीघ्र पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित बिल पास करके इस विसंगति को दूर की जाए और पदोन्नति में आरक्षण के लाभ को बरकरार रखा जाए।

+++

23 जुलाई, 2015 को दैनिक जागरण में प्रकाशित लेख

सुधार बने आंदोलन

सरकार की योजनाओं की सफलता के लिए इनमें लोगों की भागीदारी जरूरी बता रहे हैं – डॉ. उदित राज

जब-जब सरकार बदलाव की शुरुआत करती है तब-तब लोगों में आशा और उत्साह पैदा होता है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, उसकी आलोचना भी शुरू हो जाती है। 2 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की ताकि देश साफ-सुथरा हो जाए। उन्होंने इसे पार्टी से न जोड़ने की अपील की ताकि लोग इस कार्यक्रम को राजनीति से प्रेरित न समझें और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इसमें सहयोग दें। प्रधानमंत्री ने स्वयं हाथ में झाड़ू पकड़ी। यह एक अप्रत्याशित बात थी। प्रधानमंत्री को देख लाखों लोग झाड़ू लेकर सड़कों पर उतर गए। शुरुआत में ही एक संदेश गया कि सफाई करना नीच कार्य नहीं है। इसके बावजूद देशवासियों ने इस कार्यक्रम को मन से नहीं अपनाया।।1हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में भारतीयों को संबोधित करने का मौका मिला। जब सवाल-जवाब का समय आया तो एक महानुभाव ने कहा कि भारत में अभी भी गंदगी है। मोदीजी ने क्या किया? मैंने उनसे कहा कि आप भारत से आए हैं तो यह भी जानते होंगे कि वहां सैकड़ों विश्वविद्यालय और लाखों स्कूल-कॉलेज हैं। लेखक, पत्रकार, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता लाखों की संख्या में हैं। ये सब मिलकर छात्रों और देशवासियों को यह छोटा-सा पाठ नहीं पढ़ा सके कि लोगों को स्वच्छ रहना चाहिए। जब शिक्षा का इतना विशाल ढांचा एक छोटी-सी सीख नहीं दे सका तो कमी उसकी है या प्रधानमंत्री की?क्या प्रधानमंत्री को देश को स्वच्छ बनाने की अपील करनी चाहिए थी?अपील इसलिए की क्योंकि देश के विकास में इसकी बड़ी आवश्यकता है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ने इस कार्य को किया होता तो सरकार का समय और संसाधन किसी और कार्य में लगते। उन्हें प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए था बजाय यह कहना कि कुछ नहीं हुआ है। सरकारी नौकरी सबसे अच्छी है और उसे प्राप्त करने के लिए करोड़ों युवा अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर आने और जाने के लिए बायोमैट्रिक व्यवस्था की तो इससे तमाम लोग नाराज हो गए। उन्हें आदत पड़ी थी देर से आने और जल्दी जाने की नए नियम से उन्हें तकलीफ होनी शुरू हो गई। भाजपा को इसका थोड़ा-बहुत खामियाजा दिल्ली के चुनावों में भी भुगतना पड़ा। एक डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस मैनेजर जो आराम से बड़ी कंपनियों में लाखों-करोड़ों कमा सकते हैं, क्यों नौकरशाही में घुसने को वरीयता देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? समझना मुश्किल नहीं है। सरकारी नौकरी में काम कम करना पड़ता है। देर से आएं और पहले चले जाएं तो भी काम चलता रहता है। तमाम मलाईदार विभागों का लालच तो है ही। भारत में लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई है कि सबकुछ सरकार करे। सवाल यह खड़ा होता है कि सरकार जनता से अलग थोड़े ही है। वह तो लोगों से ही बनती और चलती है। जो प्रतिनिधि होते हैं, वे नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन नियम-कानून मानना और सरकारी घोषणाओं और कार्यक्रमों को लागू करना सभी लोगों पर निर्भर करता है। जनता के हित में सरकार के कुछ कार्यक्रम जैसे- स्वच्छता, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जनधन योजना, स्किल इंडिया आदि यदि ठीक से लागू हो जाएं तो भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। उसी तरह जैसे दूसरे देशों में समय-समय पर परिवर्तन हुए हैं। बिना लोगों के सहयोग के यह संभव हो नहीं सकता। देश में चाहे जितने संसाधन, उपयुक्त जलवायु, उर्वरा भूमि हो फिर भी तब तक विकास नहीं होगा जब तक अच्छा समाज बनाने और विकास में योगदान देने के लिए जनता आगे न आए। न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत की दृष्टि से उतनी अनुकूल स्थिति में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने तरक्की के झंडे गाड़ दिए। ऑस्ट्रेलिया में 1770 के आस-पास इंग्लैंड और यूरोप से काला पानी की सजा काटने वाले आए और 200 वर्ष के अंतराल में किस ऊंचाई पर पहुंच गए, जानना मुश्किल नहीं है। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि हमारी आबादी की समस्या है तो उसका भी जवाब है कि जापान और कोरिया जैसे ऐसे देश हैं, जहां आबादी का घनत्व भारत से भी ज्यादा है, जमीन भी समतल नहीं है और पहाड़ ही पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, फिर भी उन्होंने विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। इससे स्पष्ट है कि देश का निर्माण नागरिक करते हैं।भारतीय समाज में क्रांति की आवश्यकता है। जिस तरह यूरोप में 14वीं से 17वीं शताब्दी तक नवजागरण के दौरान वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला, उसी प्रकार के नवजागरण की आवश्यकता भारत को भी है। यह नवजागरण इटली से उठा और पूरे यूरोप को अपने आगोश में ले लिया। यूरोप ने दूसरा आंदोलन भी देखा जो 16वीं शताब्दी में उभरा। इसे सुधारवाद के नाम से जाना जाता है। 1860 तक जापान दुनिया के और समाजों से कटा हुआ था और सोचा जा सकता है कि वह तमाम ज्ञान-विज्ञान और तकनीक से वंचित और पिछड़ा रहा होगा, लेकिन मेजी क्रांति ने जापान को बदलकर रख दिया। जापान में वर्ष 1868 और 1872 के बीच उत्पादन 1026 टन और निर्यात 646 था, जो साल 1909 से 1914 के बीच बढ़कर 12,460 और 9,462 टन हो गया। मेजी आंदोलन के पीछे अमेरिकी प्रगति भी थी। जब जापानियों को पता लगा कि अमेरिका कितना आगे है तो उनमें भी जज्बा पैदा हो गया कि हमें जो भी बलिदान करना होगा, करेंगें। उस विकास को कौन नही जानता। मेजी का मतलब होता है प्रबुद्ध प्रशासन, जिसमें पूर्वी और पारंपरिक मूल्यों के साथ-साथ आधुनिकता का मिश्रण हो। इसी तरह से चीन में 1966 में सांस्कृतिक क्रांति शुरू हुई। उसने वहां के लोगों की सोच बदलने में बड़ा योगदान दिया। हालांकि इस क्रांति के दौरान सरकार ने जोर-जबर्दस्ती भी की, जिसका बड़ा नकारात्मक असर पड़ा।1यदि सरकारी योजनाओं को कारगर ढंग से लागू कर दिया जाए तो भारत में बड़ा बदलाव आ सकता है। सरकारें कम ही क्रांतिकारी कदम उठती है, इसलिए यह अभियान सराहनीय है। समाज सुधार की पहल तभी सफल हो सकती है जब इसमें समाज की भागीदारी हो। स्वच्छ भारत अभियान समाज के आह्वान पर शुरू होना चाहिए था, लेकिन किया गया सरकार की ओर से। अगर समाज इस अभियान में भागीदारी कर इसे सफल नही बनाता तो यह एक ऐतिहासिक भूल होगी।

सधन्यवाद

+++

शेष पृष्ठ 3 का

वेश्थालयों में पनाह लेने के लिए अभिशप्त हुई, देर से ही सही अंततः उसके ध्वस्त होने की घड़ी आ गयी। नब्बे के दशक (1996-2006) में राजशाही और नेपाल में लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का सपना देखने वाले कम्युनिस्टों में चले लम्बे संघर्ष, जिसमें खून भी बहे और युवराज दीपेन्द्र तथा राजा वीरेंद्र की प्राणहानि भी हुई, के बाद राजशाही को घुटने टेकने पड़े। माओवादियों के समक्ष राजशाही के घुटने टेकने बाद 28 मई, 2008 को नेपाल की राजशाही व्यवस्था का पूरी तरह खात्मा कर, वहां गणतांत्रिक व्यवस्था लागू कर दी गयी । अब वहां लोकतंत्र को सुचारू रूप से परिचालित किये जाने के लिए एक स्थाई संविधान निर्माण की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में पूरी होने वाली है। इस संविधान के मसौदा समिति की जो रिपोर्ट लगभग महीने भर पहले आई ,उसमें नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का उल्लेख था। उस रिपोर्ट के आधार पर लोग यह मानकर चल रहे थे कि नेपाल अब स्थाई तौर पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन जायेगा। वैसे तो वहां की स्थापित गैर-कम्युनिस्ट पार्टियों में हिन्दू राष्ट्र के प्रति एक दुर्बलता रही है। किन्तु हैरत की बात यह है कि जो कम्युनिस्ट हिन्दू राष्ट्र की जगह धर्मनिरपेक्ष नेपाल के प्रबल पक्षधर रहे हैं,उन्हें रातोरात अब 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द से विरक्ति हो गयी है। उनके इस भावांतरण के फलस्वरूप नेपाल पुनः हिन्दू राष्ट्र बनने के लिए अभिशप्त होता दिख रहा है। सवाल है धर्म को अफीम बताने वाले नेपाल के कम्युनिस्टों ने धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर यू-टर्न क्यों लिया? इसके पीछे समाज शास्त्रीय कारण है, और वह कारण यह है कि जाति समाज में लोगों की सोच स्व-जाति/वर्ण की स्वार्थ सरिता के मध्य घूर्णित होती रहती है। भारत का अध्ययन बताता है कि ऐसे समाज में जन्मे बड़े से साधु-संत, राजा-महाराजा, लेखक-एक्टिविस्ट भी समग्र वर्ग की चेतना से कंगाल होते हैं। नेपाल भी एक जाति समाज है जहां की राजनीति में हावी कम्युनिस्ट पार्टियों में नेतृत्व के स्तर पर ब्राह्मणों का बोलबाला है। चूंकि नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने पर ब्राह्मण-क्षत्रियों का शक्ति के स्रोतों पर वह प्रभुत्व नहीं रह पायेगा, जो हिन्दू राष्ट्र में हैं। इसलिए धर्मनिरपेक्षता के पैरोकार कम्युनिस्टों ने, यह जानते हुए भी कि ढेरों जनजातीय संगठन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के पक्ष में हैं, ब्राह्मण-क्षत्रिय हित में धर्मनिरपेक्षता को खारिज करने का फैसला किया है। अगर नेपाल फिर से हिन्दू राष्ट्र बनता है तो यह वहां के लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि वहां के दलित-कम्युनिस्ट इसके खिलाफ हथियार उठाने का एलान कर चुके हैं। सबसे बुरी बात तो यह होगी कि राजशाही के खात्मे के बाद हिंदूवादी-व्यवस्था से राहत पाई वहां की 75 प्रतिशत वंचित आबादी इसे एक आघात के रूप में लेगी जिसका निश्चय ही बड़ा कुप्रभाव नेपाल में विकसित हो रहे लोकतंत्र पर पड़ेगा।

– एच. एल. दुसाध, राष्ट्रीय अध्यक्ष
बहुजन डाइवर्सिटी मिशन

UNDER RULE 377, 27 July, 2015 Need to review the selection process for recruitment of senior trainee pilot in Air India in view of rejection of some candidates belonging to reserved category

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Madam, during recruitment of Senior Trainee Pilot (P2) with A320 endorsement in Air India, 78 candidates were selected for appointment - 11 SC and 6 OBC candidates have been selected in general merit category and there are still vacancies in 14 SC, 12 ST and 87 OBC seats. As per MHA order O.M. No. 1/1/70-Estt.SCT, 25th July 1970, "If SC/ST candidates obtained, according to normal position in examination for direct recruitment less vacancies than the number reserved for them, selecting authorities have discretion, in order to make up the deficiency, to select candidates belonging to these communities who may have obtained low place in the examination, provided that such authorities are satisfied that the minimum standard necessary for maintenance of efficiency of administration has been reached in their cases."

DOPT Brochure Reservation SC/ST/OBC Clause 3.8 states, "to the extent the number of vacancies reserved for SC, ST and OBC cannot be filled on the basis of general standard, candidates belonging to these communities will be taken by relaxed standard to make up deficiency in reserved quota, subject to fitness of these candidates for appointment to the posts in question." Psychometric test, on the basis of which most candidates were rejected, was not part of advertisement issued by Air India and was arbitrarily added to the selection process to accommodate favoured candidates. Rejected candidates are from backward sections and have taken loans from banks to complete their training and hence should be accommodated.

+++

PARTICIPATION CHAINED BY RESERVATION

73 students of Indian Institute of Technology, Roorkee were rusticated on the ground that they had scored less than five CGPA. Out of these students 31 were ST, 23 SC, 4 physically handicapped, 8 OBC and only 8 general. It is the common perception that these students failed because their admission was done with concessions. That is why they could not compete with their general category counterparts. There is a wide gap between general category students and reserved category students though it is not akin to the gap between them on social and economic fronts.

All this sends a message to the society that reserved category students are less intelligent. I asked a mechanical engineer if study of this course is really difficult in institutes like IIT. He immediately retorted I cannot even fix a puncture. As he passed out many years ago, he did have socio-political experience, and, therefore, he replied impartially. When I discussed with him affairs at IIT Roorkee he argued had the level of education been good here it would have its impact on the research work also. The students getting admission here have high scores. They are inclined to hard work. For the high scores of general category only students' hard work is not responsible. Most of them have public school backgrounds with AC and other facilities. Their teachers and parents are well qualified with a treasure of ancestral knowledge and experience. If such students are benefited by 5% marks credited for each of these factors, they get the benefit of 20% extra marks for four factors combined though the gap between the general category students and reserved category students has not remained 20% over the years. In some places even this gap has been eliminated and in most of the institutions this gap has come down to 5% or a little more.

Quality of education in our universities, institutions and research centres has fallen to low ebb barring a few exceptions. Every year Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking; Times Higher Education Ranking and Shanghai Zion Tong University are giving rankings to universities all over the world where our universities do not find any place in top 300. Education is a tremendous power for our county; we need to augment this power. We must know the scale for measuring our quality, viz. how many of our teachers have attained national and international awards, how much research has been done and how many applications we have made for patents and how many were admitted. Quality also means how much material has been published in international journals and what package has been offered to our employees in companies which mean. When we talk of world-level issues we restrict ourselves to discussing Indian cuisine, Indian cinema and personal achievements of Indian expatriates. But we shirk discussing Indian sports, Indian research, gender discrimination, caste system and honesty. Till we acknowledge these shortcomings honestly, we cannot accept them as a challenge. We cannot strive at war footing till we accept a challenge. People blame lack of amenities for the degradation of higher education. IITs and IIMs do not lack in resources. Despite that they cannot become world-level institutions of learning.

The faculty in such institutions is well paid. Despite that, they migrate to foreign countries. They argue wrongly that they do not get as much emoluments as in foreign countries. They will be paid as per our economy. Developed countries pay them accordingly. When asked why they praised relentlessly their Indian institutions when they were utilizing their services, or studying here and doing research. Why did they not leave for foreign countries at that time? In fact, we lack nationalism. All developed countries were once poor nations. Their institutions were also lacking in resources. But they faced the situation stoically and today made their institutions of quality learning.

Merit does not mean scoring good marks. Why these merited institutions compare themselves with quality institutions which started from below. When questioned about their standard of quality, they tender some excuses. Where their intelligence goes then? It is possible they spend some part of their intelligence in discussing caste and suppressing the womenfolk. Some part of their intelligence is spent in groupism. For how long we can depend upon foreign research and intelligence, without doing any hard work ourselves? There is a lot of misconception that the level of education has fallen because of reservation policy. Such people should feel ashamed that there are hardly one percent professors in universities because of reservation. Some teachers did come at the lower level of education system during the last one or two decades. When almost all the teachers and professors were from Swarna category then why we could not advance in the field of knowledge, science and research? All the students were also almost from the Swarnas who were not hindered in their education by the reserved category people. It is the psyche of Roorkee Professors which is responsible for dragging the nation into backwardness. Scoring high marks does not mean achieving merit. It should also include practical knowledge. It is possible rusticated people may rectify a puncture but the high scorers may not. They may perform well in adverse circumstances. They may become more capable than the merited students, with the passage of time. Professor Ashwini Deshpandey of School of Economics and Prof. Thomas Vekskof of Michigan University have conducted wider research to find out whether SC/ST officer-employees have adversely affected the quality of Government performance. It is true reserved category students score low marks while studying but they do not lag behind their fellow students later on. Even today all the teachers are almost from the general category and the students also outnumber reserved category students. Why then they could not achieve the quality of education of the standard of European and American institutions – they are not stopped from doing so by the reserved category people. Affirmative action theory is the synonym of reservation policy in universities like Harvard University. Even then the quality of education neither came down nor did they win many Nobel Prizes.

- Dr. Udit Raj (MP)

+++

दुनिया की शीर्ष 300 यूनिवर्सिटी में कोई भारतीय नहीं

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक बार फिर विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बनकर उभरी है। सेंटर ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की ओर से जारी 1,000 शीर्ष यूनिवर्सिटी की सूची में इसे लगातार तीसरे साल पहले पायदान पर रखा गया है। भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी शीर्ष 300 में भी शामिल नही है।

टॉप –10 में छाई अमेरिका और ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (अमेरिका), स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी (अमेरिका), मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी (अमेरिका), केब्रिज यूनिवर्सिटी (ब्रिटेन), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी (ब्रिटेन), कोलबिया यूनिवर्सिटी (अमेरिका), यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वर्कले (अमेरिका), शिकागो यूनिवर्सिटी (अमेरिका), प्रिसटन यूनिवर्सिटी (अमेरिका), कोर्नेल यूनिवर्सिटी (अमेरिका), एशिया का बुरा हाल, टोक्यो यूनिवर्सिटी (13), क्योटो यूनिवर्सिटी, जापान (16), हिब्रू यूनिवर्सिटी, इजरायल (22), सियोल यूनिवर्सिटी (24), कियो यूनिवर्सिटी, जापान (34), वेजमैन इंस्टीट्यूट, इजरायल (38), वसेदा यूनिवर्सिटी (40), ओसाका यूनिवर्सिटी, जापान (43), पेकिंग यूनिवर्सिटी, चीन (55)

भारतीय संस्थान काफी पीछे

आईआईटी–दिल्ली (328), डीयू (436), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (501), आईआईटी–बॅम्बे (535), पंजाब विवि (543) आईआईटी–कानपुर (569), आईआईटी–खड़गपुर (574), आईआईटी मद्रास (576), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च (592), आईआईटी रुड़की (611), बीएचयू (667)

क्या है पैमाना शिक्षा का स्तर

छात्रों–शिक्षकों को मिले राष्ट्रीय और अंर्ताराष्ट्रीय सम्मान व पुरस्कार

पेटेंट के लिए आवेदन शोध ने कितने आविष्कारों की नीव रखी, कितने पेटेंट दाखिल किए

छात्रों का प्लेसमेंट : देश–दुनिया की शीर्ष कंपनियों में छात्रों की नियुक्ति, उन्हें मिलने वाला पैकेज।

शोध की गुणवत्ता वैश्विक स्तर पर प्रख्यात जर्नल में शोध का प्रकाशन

+++

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 18 ● Issue 17 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 16 to 31 July, 2015

27 July 2015 Zero Hours Dr. Udit Raj Raised Issue of expulsion of sutdents of IIT Roorkee In Parliament

Madam Speaker, through you, I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister of Human Resource Development towards the expulsion of students from IIT, Roorkee due to failure to meet a CGPA criteria which was not imposed on students at the time of admission. Subsequently, parents of admitted students were asked sign a form stating the Institute could expel students having below 4.5 GPA, a declaration not valid for students above the age of 18 as they are permitted to enter into agreements on their own behalf, without consent of parent/guardian. Also, I would like to point out that almost 80% of the students expelled belong to SC/ST categories and have strived hard to gain admission to IIT, Roorkee - a premier technical institute where they have struggled despite their handicap of not being well versed with the lingua franca of technical education - English. Madam Speaker, through you, I would like to request that the Government permit these students to be reinstated to their courses and technical texts be translated to Hindi for wider dissemination amongst an Indian audience.

+++

31 July 2015 Zero Hours Dr. Udit Raj Raised Issue of Reservation in Promotion In Parliament

Madam Speaker, the Rajya Sabha has passed the bill to allow reservation in promotion in the winter session 2012, but the same got stuck up in Lok Sabha. The 85th Constitutional Amendment was done by Shri Atal Bihari Vajpayee's Government, it was challenged in the Supreme Court and the bench of five judges in the Nagaraj case heard the matter and finally withheld with certain riders.

The same matter was challenged in Lucknow High Court and in the absence of proper advocacy; the Lucknow High Court disallowed reservation in promotion. It was contested by UP Government in 2 judge bench of Supreme Court which upheld the decision of the Lucknow High Court.

Neither the Lucknow High Court nor the 2 judge bench can undo the judgment of the Nagaraj case, but unfortunately it was done in this case. Rajasthan and Bihar Governments have continued reservation in promotion on the basis of reports of the Committee. Currently, thousands of employees are facing reversion in Uttar Pradesh which is against natural justice and hence I urge the Government to pass the Bill to undo the anomalies and provide reservation in promotion.

+++

Kalsotra Tours Leh and Kargil

Jammu 22.7.2015: R K Kalsotra, State President of All India Confederation of SC/ST/OBC Organizations J&K returned back after attending Save Reservation Seminars at Kargil and Leh. This was first ever seminar on Save Reservation, held on 13th and 16th July at Kargil and Leh. Large number of employees along with social activists attended it. Kargil seminar was organized by Ahsan Ali Gonkhapa, State Vice President of Confederation and at Leh was by Tsering Moruph, State Joint Secretary. Participants projected various demands in the Seminar. They said that promotion at Divisional and State level employees of Leh & Kargil are not given on the roster point, moreover on the name of catch up rule, some senior officers are not given promotion and their juniors are promoted. Centrally sponsored schemes are not being implemented in the Ladakh region. No awareness camps are being organized by the Government as well by Banks and other agencies. Youth of the area mostly dependent on Government jobs, which are insufficient as per population.

Thare is no private sector option in the region and moreover whole of the region remains cut off for more than 6 to 7 months from other parts of the country and roadways, airways and even phone connectivity is very poor. No proper utilization of funds for the income generation of the youth is operating in the region, even poor students are not being given scholarships in time. Generally students leave their education in midway due to provertinh and because of not beig given scholarships in time. They appeales Mr. Kalsotra to apprise the State and Centre Government to launch special schemes for income generating for the youth of the region, timely release of scholarships, special funding for the welfare of the masses and their utilization in time and due Reservation rights in recruitment and promotion. While addressing the seminars at both the Districts, Mr. Kalsotra thanked for inviting him in the region in a first ever seminar of its kind.

Confederation J&K team froms leh and Kargil

He said until and unless we do not become one voice in the State as well as in Centre, our condition will not improve, Governments will come and go and they will not make friendly schemes for the poors and for their Toto implementation. Kalsotra said Confederation is protecting the rights at National Level since 1997 under the dynamic leadership of Dr. Udit Raj, National Chairman, Confederation and at State lever under State Unit of Confederation without their region support. At State level we fought and got one Step up Reservation, representation in PSC and SSRB, Reservation Act 2004, Amendment in SRO_294 in which Reservation from 5 to 10% for STs enhanced and recently we came out on the roads for getting Reservation in New Recruitment Policy and at center we got 81st,, 82nd, 85th & 104th Amendment in the India Constitution. All these were got by staging large and strong protest and gheros of state assembly & Parliament. Mr. Kalsotra said that Unity is must for saving reservation as well as for its implementation. He said that before coming to power, Sh. Narendra Modi had committed to SC/ST/OBC for making Reservation Promotion Act, to give Reservation in Private sector, but all in vain, moreover Government has decreased our share in Scheduled Caste Component Pal and Tribal Sub Plan at national level. At State level we were expecting Clearance of 60000 posts backlog to be filled by successive Governments in RET/REZ/SPOs and various posts on Adhoc and temporary basis but yet government has not started filling of these backlog,, moreover State Government has planned to introduce Catch up Rule which is an anti - Reservation move. We were expecting from the government to give appropriate funds to SC/ST plan but nothing has come out from it. Kalsotra apprised that like political parties, Confederation has also launched Membership drive at National and state level and he appealed the Kargil & Leh masses to come forward to get membership of the Confederation and make it a strong a movement for save the rights and their implementation. Mr. Kalsotra at the end assured the gathering at both places that there demands will be redressed by the concerned authorities at an earliest. Mr. Gonkhapa and Mr. Moruph appealed the participants to come forward for framing the District units and participate in membership drive so that we can strengthen the movement at district, state and national level and they also assured them that they will pursue the Ladakh region demands at state and national level like extra funding, special recruitment drive at district level. Others who spoke in the seminars were Akbar Ali, Ajaz Hussain Munshi, Fida Hussain, Mukhtar Hussain Khan, Mohd. Abbas, Ali Jinaah, Aniyat Rahi and at Leh were Mohd. Ayub, Tashi Chomphel , Rinchin Gylson, Tsering Dolma and others.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: aicscst@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar